न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 13/2014

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 पूर्णमल मुतबना पुत्र गुलाराम उम्र 62 साल जाति मेघवाल साकिन झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 माईधन पुत्र गंगाराम उम्र 63 साल जाति मेघवाल साकिन झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 श्रीराम पुत्र नत्थुराम जाति नायक निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 रिछपाल पुत्र समन्दर।
4 मदरूम पुत्र समन्दर।
5 तेजाराम पुत्र समन्दर।
6 हरबाई पुत्र समन्दर।
7 गिन्दी बेवा किशना।
8 दिनेश पुत्र किशना।
9 प्रताप पुत्र किशना।
10 श्रीमती अनु पत्नी पूर्णमल समस्त जाति मेघवाल निवासीगण झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
11 श्रीमान उप पंजीयक एवं श्रीमान तहसीलदार साहब सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील बानाराजगी आदेश दिनांक 14.03.2012 जिसकी रूह से नक्शा तकासमा मजूर किया गया व आदेश दिनांक 14.03.2012 जिसकी रूह से सनद तकसीम जारी की गई पास करदा श्री नारायण सिंह शेषमा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बिल्कुल गलत खिलाफ कानून खिलाफ जाब्ता खिलाफ वाक्याता निराधार है बाबत मंजूर किये जाने अपील व मन्सुख किये जाने आदेश उपरोक्त व किये जाने तकसीम मुताबिक मंजुर शुद्वा तरीका

उपस्थित

1. श्री अंकित चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हजारीलाल सूणिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 7-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा दावा संख्या 394/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 माईधन ने विचारण न्यायालय में वाद बाबत, खाता विभाजन भूमि खसरा नम्बर 518,519,531,532 वाके ग्राम झेरली प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने दावा प्रस्तुत करने के दिन ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय

दिनांक 14.03.2012 से अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई एवं ऐतराज का कोई अवसर नही दिया गया। विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की अनुपस्थिति में पटवारी द्वारा तैयार किये गये है जो विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की उपस्थिति रही है इन्होने कोई ऐतराज पेश नही किया अब अपील के स्तर पर ऐतराज नही कर सकते है बंटवारे का दावा है इनको इनका रकबा दे दिया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 माईधन ने विचारण न्यायालय में वाद बाबत, खाता विभाजन भूमि खसरा नम्बर 518,519,531,532 वाके ग्राम झेरली प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने दावा प्रस्तुत करने के दिन ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय दिनांक 14.03.2012 से अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण अपीलांटस को नोटिस जारी किये बिना, जवाब दावा एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना दावा पेश करने के दिन ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। इसके उपरान्त दिनांक 18.01.2012 को अपीलांट की और से विचारण न्यायालय में उपस्थिति दी गई है दिनांक 23.02.2012 को तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने का

उल्लेख है एवं आगामी दिनांक 14.03.2012 को अंतिम डिक्री पारित कर दी है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में अपीलांट को जवाब दावा पेश करने, साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये जाने, विभाजन प्रस्ताव हेतु अपीलांट को सूचित करने, विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को ऐतराज प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित ऐसी प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों एवं प्रकिया के सर्वथा विपरित है इसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री अपास्त की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब दावा, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विभाजन के सन्दर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कर गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/3/19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर